—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 35/2023

उनवान

1. रेणु मिश्रा पत्नी नरेन्द्र कुमार
2. ललिता मिश्री पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी श्रीनगर, नसीराबाद

——प्रार्थीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण

——अप्रार्थीगण :— 1 जरियें राज. पैरोकार
2 जरियें अधिवक्ता श्री संदीप अग्रवाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :— 25.10.24

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के वंर्किग खसरा नम्बर 944 रकबा 3—0—0 के हाल खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.40, 1446/8749 रकबा 0.07 व 1446 मिन रकबा 0.02 बने है। हाल खसरा नम्बर 1444 व 1446/8749 की आराजी आवेदनकर्ता की खातेदारी की है। उक्त आराजी का वर्किग खसरा नम्बर 944 एक ही चक का था किन्तु उक्त वंर्किग खसरा नम्बर 944 के हाल खसरा नम्बर 1444 व 1446/8749 का हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण अंकन कर दिया है। हाल खसरा नम्बर 1446/8749 को हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 1444 की सीमा से लगते हुये अंकन करने के बजाय खसरा नम्बर 1446 के कोने में दर्शा दिया है। जबकि हाल खसरा नम्बर 1446/8749 को हाल खसरा नम्बर 1444 की सीमा से लगता हुआ ही दर्शाना चाहिये था। मौके पर आवेदनकर्ता वर्तमान खसरा नम्बर 1444 से लगती हहुयी खसरा नम्बर 1446/4789 की भूमि पर ही काबिज है। हाल राजस्व मानचित्र वंर्किग मानचित्र के विपरित व मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया है। अतः हाल राजस्व मानचित्र में उक्तानुसार दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 1444 व 1446/4789 प्रार्थीगण की खातेदारी में है। खसरा नम्ब[illegible] अप्रार्थी संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 1446/8749 को दूर [illegible] दिया है जो कि गलत है। हाल मानचित्र में साबिक मानचित्र अ[illegible]त है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश क[illegible] खसरा नम्बर 1446 की आराजी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर द्वारा प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि है प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि पर अजमेर विकास प्राधिकरण [illegible]नियम 2013 के सुसंगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:01:25 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रावधानों के तहत प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाती है। आवेदन में जवाबकर्ता के विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न होना अंकित नही है। प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.40 व 1446/8749 रकबा 0.0.7 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 944 है। हाल खसरा नम्बर 1446 रकबा 1.96 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 944 राजस्व मानचित्र में एक ही चक में स्थित है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 1444 व 1446/4789 को हाल राजस्व मानचित्र में एक ही सथान पर अंकित करने के बजाय त्रंटिपूर्ण तरीके से अलग-अलग स्थान पर अंकित कर दिया है। हाल खसरा नम्बर 1444 को वंर्किग खसरा नम्बर 944 के स्थान पर ही अंकित किया है किन्तु हाल खसरा नम्बर 1446/8749 को वंर्किग खसरा नम्बर 944 के स्थान पर खसरा नम्बर 1444 के साथ अंकित करने के बजाय हाल खसरा नम्बर 1446 में अंकित कर दिया है। राज. पैरोकार ने भी अपने जवाब में हाल राजस्व मानचित्र को त्रुटिपूर्ण माना है। अप्रार्थी संख्या 2 का तर्क है कि खसरा नम्बर 1446 की आराजी प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि है, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा नही चाही है। राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती के आदेश पारित करने से प्राधिकरण की भूमि का स्वामित्व प्रभावित नही होगा। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में यह भी कथन किया है कि प्राधिकरण को पूर्व में नोटिस नही दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व वाद कारण भी अंकित नही है। किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र के रूप में पेश किया है। तथा प्रार्थना पत्र में वाद कारण व नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।** प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य व सलंग्न दस्तावेज से हाल राजस्व मानचित्र का अंकन त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रार्थीगण हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर की आराजी मुतनाजा पर का प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 1446/8749 को वर्तमान स्थान से तर्क कर खसरा नम्बर 1444 व 1446/8749 को वंर्किग राजस्व मानचित्र अनुसार हाल राजस्व मानचित्र में एक चक के रूप में अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:01:25 IST
Reason: SelfAttested